

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या

17/09/18

प्रवेश तिथि

18-05-2018

निर्णय दिनांक

24-05-2018

1-सुभाष उर्फ शुभराम पुत्र श्री छाजूराम, जाति जाट निवासी ग्राम माजरा काठ, तहसील नीमराना, जिला अलवर

—प्रार्थी

बनाम

- 1-सुमेर सिंह पुत्र श्री सुखराम जाति जाट
- 2-महावीर सिंह पुत्र श्री सुखराम जाति जाट
- 3-राजाराम उर्फ सुरेन्द्र पुत्र श्री सुखराम जाति जाट
- 4-मातदीन पुत्र चन्दर, जाति जाट
- 5-मेवा पत्नि श्री रामेश्वर, जाति जाट
- 6-शीला पुत्री री रामेश्वर, जाति जाट
- 7-मीर सिंह पुत्र श्री रामेश्वर, जाति जाट
- 8-सर्विस कुमार पुत्र श्री रामेश्वर, जाति जाट
- 9-जलेशिंह पुत्र श्री मनफूल, जाति जाट
- 10-अमित पुत्र निहाल, जाति जाट
- 11-घम्मन सिंह उर्फ छम्मन सिंह पुत्र मनफूल, जाति जाट
- 12-विमला पुत्री श्री सुखराम, जाति जाट
- 13-कुन्जा पुत्री श्री सुखराम, जाति जाट
- 14-ओम कृष्णा पुत्री श्री सुखराम, जाति जाट
- 15-सतपाल पुत्र श्रीमती भुतेरी, जाति जाट
- 16-मुकेश कुमार पुत्र श्रीमती भुतेरी, जाति जाट
- 17-ख्यालीराम पुत्र श्री मनफूल, जाति जाट
- 18-सुदेश कुमार पुत्र मनफूल, जाति जाट, निवासीयान ग्राम माजरा काठ, तह0 नीमराना, जिला अलवर
- 19-लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना



—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र मुत्तकिल

उपस्थित:-

01. श्री शौकत खान
02. श्री अभय सिंह यादव

—वकील प्रार्थी
—वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुत्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी सुभाष बनाम सुमेर सिंह व अन्य को किसी दीगर न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में अप्रार्थीगण व तरतीबी प्रतिवादी गण के खिलाफ आराजी खसरा नम्बर 549/783 रकबा 16 एयर ग्रम माजरा काठ तहसील नीमराना बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद विचाराधीन है। मिन वादी सीधा-साधा ग्रामीण परिवेश का वयक्ति है जबकी प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 01 सुमेरसिंह होशियार व चालाक वयक्ति है जिसका राजनीति में काफी प्रभाव है। जिस कारण उसका उपखण्ड अधिकारी नीमराना व अन्य

प्रशासनिक अधिकारियों के यहां आना जाना रहता है। प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 01 ऐलानियां तौर पर कई बार गांव में कह चुका है यदि वादी ने दावा दायर कर दिया तो क्या है, मेरा राजनीति में काफ़ि हस्तक्षेप है। जब चाहूंगा उस वाद को खारिज करवा दूंगा। गत तारीख 26.12.2017 को मिन वादी व प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 01 सुमेरसिंह व उसका भाई महावीर सिंह पेशी पर आये थे सुमेरसिंह पेशी से पूर्व ही उपखण्ड अधिकारी नीमराना के चैम्बर में चला गया जो करीब आधा घण्टा बाद अधिकारी के चैम्बर से प्रसन्न मुद्रा में बाहर निकला ओर उसने भाई महावीर सिंह से कहा की मेरी साहब से बात हो गई है निर्णय अपने हक में होगा चिंता मत करों। प्रार्थी को इस बात का पूरा-पूरा विश्वास हो गया की उपखण्ड अधिकारी नीमराना उक्त प्रकरण का निर्णय प्रतिवादी अप्रार्थी के हक में ही करेगें। इस प्रकार प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी नीमराना से न्याय की कोई आशा नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय मुन्तकिल फरमाया जावें।


विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी चालाक व चतुर वयवित है व अप्रार्थी संख्या 01 सुमेरसिंह एक सीधा-साधा वयवित है। अप्रार्थी संख्या 01 सुमेरसिंह का राजनीति में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 सुमेरसिंह 75 साल का एक वृद्ध वयवित है जो चलने फिरने में भी असमर्थ है। अप्रार्थी का किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के यहां आना जाना नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 ने गांव में या अन्य कही भी किसी प्रकार का ऐलान किसी भी वाद के संबंध में नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 01 उपखण्ड अधिकारी नीमराना से कभी भी नहीं मिला है। प्रार्थीगण की समस्त कहानी मुकदमे को लम्बा व अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से बनाई गई है। अप्रार्थी संख्या 01 तारीख पेशी दिनांक 26.12.2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ अतः जब अप्रार्थी सुमेरसिंह तारीख पर उपस्थित ही नहीं हुआ तो उपखण्ड अधिकारी नीमराना के चैम्बर में जाने का प्रश्न ही नहीं है। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमण कर रखा है व गैर मुमकीन जोहड है इसलिए प्रार्थी मुकदमे को लम्बा करना चाहता है। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली व प्रार्थी वकील द्वारा पेश दस्तावेजात एवं पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी उप खण्ड अधिकारी नीमराना ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि श्री सुमेरसिंह पेशी पूर्व चैम्बर में मिला था जबकि चैम्बर में प्रतिदिन आम वयवित अपने कार्य हेतु चैम्बर में आते हैं। अपना कार्य या परिवाद देकर चले जाते हैं। इस प्रकार प्रार्थी का यह बिन्दु मनगढंत व बनावटी है। जो स्वीकार नहीं है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा निवेदन किया कि यदि प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा भी दोराने बहस यह निवेदन किया है उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन प्रकरण को किसी भी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल कर दिया जावे। अतः प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तकिल स्वीकार किया जाता है एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना को आदेशित किया जाता है कि उक्त विचाराधीन पत्रावली सुभाष बनाम सुमेरसिंह व अन्य उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में स्थानान्तरित कर दी जावे।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना व उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24-05-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)